राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्र. प.3(77)नविवि/3/2010 पार्ट– IV जयपुर, दिनांक– 9 JAN 2018

आदेश

राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी–2010 (10 हैक्टेयर तक) के बिन्दु संख्या 4 की तालिका A के क्रम संख्या 2 में वर्तमान प्रावधान में निम्न प्रावधान राज्य सरकार के सक्षम स्तर से अनुमोदन पश्चात जोडा जाता है:–

राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी, 2010 में 10 हैक्टयर तक क्षेत्रफल की योजनाओं में न्यूनतम 10 प्रतिशत क्षेत्रफल जन सुविधा यथा स्कूल कम्यूनिटी सेन्टर, डिस्पेन्सरी, क्लब हाउस तथा अन्य सार्वजनिक उपयोग हेतु आरक्षित किये जाने का प्रावधान है इसके अतिरिक्त 5 प्रतिशत क्षेत्रफल पार्क हेतु आरक्षित किये जाने का प्रावधान है।

इन योजनाओं में सुविधा क्षेत्र एवं पार्क हेतु नियमानुसार छोड़े गये क्षेत्रफल के अधिकतम 15 प्रतिशत के बराबर बिल्टअप एरिया में अधिकतम भूतल + 1 मंजिल में क्लब हाउस/सामुदायिक केन्द्र का निर्माण अनुज्ञेय होगा, यह निर्माण सुविधा हेतु आरक्षित की गई भूमि पर किया जा सकेगा एवं इसका उपयोग टाउनशिप के निवासियों द्वारा किया जावेगा। उक्त क्लब हाउस का निर्माण विकासकर्ता द्वारा किया जाकर संबंधित विकास समिति (आर.डब्ल्यू.ए.) को हस्तान्तरित किया जायेगा। इसका रख–रखाव संबंधित विकास समिति (आर.डब्ल्यू.ए.) द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। इस पर विकासकर्ता का स्वामित्व नहीं होगा व अन्य कोई व्यवसायिक उपयोग नहीं किया जावेगा। इस गतिविधि के लिये पृथक से विकासकर्ता के पक्ष में भूमि के आवंटन की आवश्यकता नहीं होगी। यह क्षेत्र विक्रय योग्य सुविधा की श्रेणी में नहीं होगा, केवल विकासकर्ता को उक्त भूमि पर क्लब हाऊस/सामुदायिक केन्द्र निर्माण की स्वीकृति दी जावेगी।

09/1/18
(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. अतिरिक्त निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव–प्रथम, नगरीय विकास विभाग।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त.....।
8. सलाहकार (नगर नियोजन), नगरीय विकास विभाग।
9. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
10. रक्षित पत्रावली।

09/1/18
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम